संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट, 1948

(संयुक्त प्रान्त ऐक्ट नं0 39, सन् 1948 ई0)

THE UNITED PROVINCES ACQUISITION OF PROPERTY (FLOOD RELIEF) ACT, 1948

(United Provinces Act No. XXXIX of 1948)

संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट[1], 1948

(संयुक्त प्रान्त ऐक्ट नं. 39, सन् 1948 ई0)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1952

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, 1976

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत[2]

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल के द्वारा क्रमशः 22 अक्टूबर, सन् 1948 ई. तथा 5 नवम्बर, सन् 1948 ई. को पारित किया।][3]

9 दिसम्बर, सन् 1948 ई0 को गवर्नर ने भारतीय (अस्थायी विधान आदेश सन् 1947ई0 द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत–शासन–विधान सन् 1935 ई0 की धारा 75 के अधीन स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय असाधारण गजट में दिनांक 13 दिसम्बर सन् 1948 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

एक

ऐक्ट

बाढ़–पीड़ित क्षेत्रों में लोगों को तुरन्त सहायता पहुंचाने के निमित्त अधिकारों की व्यवस्था के लिये

प्रारम्भिक

चूँकि [X X X][4] यह आवश्यक है कि [बाढ़ –पीड़ित क्षेत्रों में क्षति प्राप्त लोगों के सहायतार्थ इमारती स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त उपाधिकृत और हस्तगत करने के लिये अधिकारों की व्यवस्था की जाये।][5] ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) [x x x][6] अधिनियम, 1948 होगा।

(2) **[* * *]**[7]

(3) **[* * *]**[7]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 16 अक्टूबर, 1948 का गजट देखिये।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्त' के लिए प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय सरकार' के लिये प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधि0 सं0 36, 1952 की धारा 2 (क) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा निकाला गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 52, 1976 की अनुसूची द्वारा निकाला गया।

2–इस ऐक्ट में, जब तक कोई बात विषय अथवा सन्दर्भ के विपरीत न हो:– **परिभाषायें**

(क) "इमारती सामान" में ईंट, लकड़ी, बाँस, मिट्टी चूना, सीमेंट, लोहा और इस्पात और घरों के निर्माण के लिये आवश्यक अन्य सामान सम्मिलित है।

(ख) "प्रतिकर अधिकारी" और अधिकृत करने वाले अधिकारी" से तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है और कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये गये प्रथम श्रेणी के असिसटेंट कलेक्टर से है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वही अधिकारी एक ही मामले में अधिकृत करने वाला अधिकारी और प्रतिकर अधिकारी न होगा।

(ग) "लैण्ड–होल्डर" (जमींदार), 'टेनेन्ट' (असामी), "रेन्ट" (लगान), और 'सायर' के क्रमशः वही अर्थ है जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, सन् 1939 ई0 में दिये गये है।

(घ) "व्यक्ति जिसका हित हो" में ऐसे समस्त व्यक्ति सम्मिलित है जो इस ऐक्ट के अधीन भूमि के अधिकृत अथवा हस्तगत किये जाने के कारण दिये जाने वाले प्रतिकर में अपने हित का दावा करते है, और उस व्यक्ति के बारे में यह समझा जायगा कि उसका भूमि में हित है, यदि उसका हित उस सुखाधिकार (ईजमेण्ट) में हो जिसका प्रभाव उस भूमि पर पड़ता हो।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इमारती सामान के सम्बन्ध में "व्यक्ति" जिसका हित हो, से तात्पर्य ऐसे इमारती सामानों के "स्वामी" से है।

(ङ) [1]("प्रान्तीय सरकार") से तात्पर्य (संयुक्त प्रान्त की सरकार)[2] से है, और

(च) "सार्वजनिक प्रयोजन" से तात्पर्य बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिये गांवों में स्थान अथवा घरों की मरम्मत अथवा उनके निर्माण की व्यवस्था से है।

अधिकृत करने की कार्यविधि

3–यदि अधिकृत करने वाले अधिकारी के मत में सार्वजनिक उद्देश्य के लिये ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आज्ञा द्वारा किसी भूमि अथवा इमारती सामान को, उसके स्वामी और उसके उपयोग करने वाले व्यक्ति पर इस आशय का नोटिस देकर कि अधिकृत करने वाले अधिकारी ने इस धारा के अनुसार ऐसी भूमि अथवा ऐसे इमारती सामान को अधिकृत करने का निश्चय कर लिया है, अधिकृत कर सकता तथा वह ऐसी अन्य आज्ञा दे सकता है जो उसे अधिकृत करने के संबंध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो। इसके अन्तर्गत ऐसे आदेश हो सकते है जो किसी व्यक्ति के उस भूमि पर खड़े हुए किसी पेड़ों और अन्य उपजों के बेचने उनको अधिकार में रखने और उपयोग करने से सम्बन्ध रखते हों। जब भूस्वामी अथवा उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति आसानी से न मिल सके या जब भूमि अथवा इमारती सामान की मिलकियत या उनके उपयोग संबंधी कोई झगड़ा हो, या जब उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, जो उनके स्वामी हों या उन पर अधिकार रखते हों, उनमें से प्रत्येक पर सुविधापूर्वक अलग–अलग नोटिस की तामील न की जा सकती हो तो ऐसी नोटिस उस विधि से प्रकाशित करायी जायगी, जो इस संबन्ध में निर्धारित की जाय।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 द्वार 'संयुक्त प्रान्त' के लिये प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय सरकार' के लिए प्रतिस्थापित।

अधिकृत की गई भूमि का उपभोग

4–उस दशा में जब कोई भूमि अथवा इमारती सामान धारा 3 के अन्तर्गत अधिकृत किया जाये तो, अधिकृत करने वाला अधिकारी उसे इस प्रकार उपभोग में ला सकता है जो उसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये उचित और आवश्यक प्रतीत हो।

अधिकृत करने वाले अधिकारी के अधिकार

5–(1) अधिकृत करने वाला अधिकारी धारा 3 के अधीन किसी भूमि अथवा इमारती सामान को अधिकृत करने या उसके लिए प्रतिकर नियत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि –

(क) वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अधिकारी को उस सम्पत्ति के विषय में आज्ञा में वर्णित ऐसी समस्त बातों की सूचना दे जो उसकी जानकारी में हो, और

(ख) उस भूमि अथवा इमारती सामान का स्वामी या उसका उपभोग या अधिकार रखने वाला व्यक्ति, उक्त आज्ञा देने वाले अधिकारी (Authority) की अनुमति के बिना उस भूमि अथवा इमारती सामान को ऐसी अवधि के समाप्त होने तक न बेचेगा जो उक्त आज्ञा में बतायी गयी हो।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति या अधिकारी (अथारिटी) जो अधिकृत करने वाले अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथारिटी) द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, यह निश्चय करने के उद्देश्य से कि उक्त भूमि अथवा इमारती सामान के सम्बन्ध में धारा 3 के अन्तर्गत कोई आज्ञा दी जानी चाहिये या नहीं और यदि दी जानी चाहिये तो किस प्रकार या धारा 3 के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का पालन करवाने के लिए, किसी भूमि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

प्रतिकर का भुगतान

6–(1) जब कोई भूमि धारा 3 के अन्तर्गत अधिकृत की गयी हो तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसका उसमें हित हो, ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जो ऐसे व्यक्ति और भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी के बीच लिखित रूप से नीचे लिखी बातों के सम्बन्ध में निश्चित की जाय–

(क) ऐसी भूमि का अधिकृत करना, और

(ख) कोई ऐसी क्षति जो प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति के अतिरिक्त अधिकृत करने की अवधि में उस भूमि को पहुंची हो।

(2) जब कोई ऐसा समझौता न हो सके तो, अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथारिटी) उस मामले को अपने इस अभिस्ताव (रिकमन्डेशन) के साथ कि प्रतिकर (हानिपूर्ति) की धनराशि कितनी होनी चाहिए, और वह किन कारणों से दी जानी चाहिए, प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सेशन आफिसर) के भेज देगा और प्रतिकर मांगने वाले व्यक्ति को भी ऐसे अधिकारी के निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होने का निर्देश करेगा और प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सशेन आफीसर) इस सम्बन्ध में नियत किये गये दिनांक पर या किसी अन्य स्थगित कियें हुए दिनांक पर ऐसे व्यक्ति के कथन को सुनेगा और ऐसी अधिक जांच के बाद जो वह उचित समझे प्रतिकर की धनराशि निश्चित करेगा और वह धनराशि, सिवाय उस दशा के जो धारा 11 में बताई गयी है, अन्तिम और निर्णयात्मक होगी।

(3) प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सेशन आफीसर) प्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए निश्चित करेगा––

(क) कोई लगान, जो अधिकृत की हुई भूमि पर निर्धारित किया गया हो,

(ख) सायर की कोई आय जो ऐसी भूमि से होती हो,

(ग) उन पेड़ों का मूल्य जो भूमि अधिकृत किये जाने के कारण भूमि से हटाने पड़े हों,

और

(घ) कोई क्षति जो हित रखने वाले व्यक्ति को किसी ऐसी खड़ी फसल अथवा पेड़ों को लेने के कारण हुई हो जो उसके अधिकार करने के समय उस भूमि पर हो।

किन्तु वह ऐसे पेड़ों के मूल्यों पर जो उपर्युक्त व्यक्ति के अधिकार में बने रहें, और जिनका वह उपभोग करता रहे, कोई विचार नहीं करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियत किया गया या उपधारा (2) के अधीन निश्चित किया गया प्रतिकर इस प्रकार दिया जायेगा जिस प्रकार सम्बन्धित पक्ष निश्चित करे या जैसा प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सशेन अफिसर) आदेश दे।

भूमि का हस्तगत करना

7–(1) उस दशा में जब धारा 3 के अधीन किसी भूमि या इमारती सामान को अधिकृत किया जाय, तो अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथारिटी) किसी भी समय ऐसी विधि से, जो उक्त अधिकारी नियत करे, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करा कर, कि इस धारा के अनुसार उसने हस्तगत करने का निश्चय कर लिया है, हस्तगत कर सकता है।

(2) जब नोटिस, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यथाविधि प्रकाशित हो जाय, अधिकृत की जाने वाली भूमि या इमारती सामान उस दिन के प्रारम्भ से, जब कि नोटिस इस प्रकार प्रकाशित किया गया है, समस्त भारों से मुक्त होकर बिल्कुल [राज्य सरकार][1] (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के अधिकार में रहेंगे और ऐसी भूमि या ऐसे इमारती सामान को अधिकृत करने की अवधि तुरन्त समाप्त हो जायगी।

(3) अधिकृत करने वाला अधिकारी, [राज्य सरकार][2] के साधारण नियंत्रण के अधीन बाढ़–पीड़ित व्यक्ति के लिए और इस प्रकार से, जैसा कि वह उचित समझे, किसी ऐसी भूमि को जो इस धारा के अनुसार हस्तगत की गई हो, अधिकार में कर सकता है या उसका व्यवहार कर सकता है या उसे किराये पर उठा सकता है, पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, एक दूसरे से बदल सकता है या अन्य प्रकार से अलग कर सकता है।

प्रतिकर का दिया जाना

8–(1) जब धारा 3 अथवा धारा 7 के अनुसार कोई अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथारिटी) किसी इमारती सामान को अधिकृत अथवा हस्तगत, जैसा भी दशा हो, करे, तो उसके स्वामी को ऐसा प्रतिकर (हानिपूर्ति) दिया जायेगा जैसा कि उक्त अधिकारी निश्चित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर निश्चय करने के लिये, अधिकृत करने वाला अधिकारी नियन्त्रित मूल्य (कन्ट्रोल प्राइस) का या यदि नियन्त्रित मूल्य नहीं है तो उसके बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) तथा यातायात (Transport) और संग्रह के व्यय का, जो हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तव में लगाया गया हो, उचित विचार रखेगा।

1. एडेप्टसन आफ लाज आर्डर 1950 द्वारा 'प्रान्तीय शासन' के लिए प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय शासन' के लिए प्रतिस्थापित।

9–(1) जब कोई भूमि धारा 7 के अधीन हस्तगत की जाय, तो ऐसे व्यक्ति को जिसका उसमें हित निहित हो, ऐसी हानिपूर्ति दी जायगी जिसकी धनराशि लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 ई. की धारा 23 की उपधारा (1) के पहिले से चौथे वाक्यखण्डों में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सेशन आफिसर) द्वारा निर्णित की जायेगी। **हस्तगत भूमि के लिये प्रतिकर का भुगतान ऐक्ट नं0 1, 1894 ई0**

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, सन् 1894 ई. की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रथम वाक्यखण्ड में उल्लिखित बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) वह मूल्य समझा जायगा जो धारा 7 के अधीन सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक या पहली सितम्बर, सन् 1939 ई0 को और यदि इन दोनों में अन्तर हो, तो इन दोनों में से जो भी कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) रहा हो।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि उस दशा में, जब कि उक्त भूमि पहली अक्टूबर, सन 1948ई0 के पूर्व किन्तु पहली सितम्बर, 1939 ई0 के पश्चात किसी पंजीयित प्रलेख (रजिस्टर्ड डाकुमेंट) द्वारा किये गये क्रय या उपर्युक्त तिथियों के बीच किसी हकशफा की डिग्री के अधीन उसके स्वामी के अधिपत्य में रही हो, तो उसकों वही धनराशि के रूप में दिया जायगा, वो क्रयकर्ता (पर्चेजर) ने वास्तव में चुकाया हो, या जिस धनराशि के भुगतान पर उसकी हकशफा की डिग्री में, जैसी भी दशा हो, भूमि हस्तगत हुई हो।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रतिकर की धनराशि निश्चित करते समय प्रतिकर अधिकारी उस किसी ऐसे लाभ को भी ध्यान में रखेगा जो (हित रखने वाले व्यक्ति को उनके स्वामित्व में, व्यक्ति को किसी ऐसी अन्य भूमि में या उस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके उपभोग में ऐसी भूमि हो, उस भूमि को त्याग देने के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है या हुआ हो।

(2) उस दशा में जब उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि निश्चित की गई हो, तो प्रतिकर अधिकारी लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 ई0 की धारा 11 में दिये हुए सिद्धांतों के अनुसार, जहां तक कि वे इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम के विपरीत न हों, निर्णय देगा।

(3) उस दशा में जब किसी व्यक्ति को, उपधारा (2) के अधीन दिये गये निर्णय से संतोष न हो और वह निर्धारित समय के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने मामला भेजने के लिये प्रार्थना पत्र दे तो प्रतिकर अधिकारी उक्त मामले को उस डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के लिये भेज देगा जिसका वहाँ अधिकार–क्षेत्र हो।

(4) लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 ई0 के आदेश जहां तक कि वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (3) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के लिये भेजे गये किसी मामले पर लागू होंगे सिवाय इसके कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज की किसी आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

10–(1) उस दशा में, जब कोई भूमि या इमारती सामान जो धारा 3 के अधीन अधिकृत किया गया हो, अधिकृत न किया जाय और उसे अधिकृत अवस्था से मुक्त करना हो, तो अधिकृत करने वाला अधिकारी, ऐसी जांच–पड़ताल के बाद, यदि कोई की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे, एक लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति को निर्दिष्ट कर देगा, जो उसे ऐसी भूमि अथवा इमारती सामान पर कब्जा पाने का अधिकारी प्रतीत हो। **मांग करने के सम्बन्ध में मुक्ति**

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी आज्ञा में उल्लिखित व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि या इमारती सामान का कब्जा देने पर उस [राज्य सरकार][1] उस भूमि या इमारती सामान पर किसी ऐसे व्यक्ति को कब्जा देने के उत्तरदायित्व से पूर्णतयः मुक्त हो जायेगा, जिसे उस पर कब्जा पाने का न्यायोचित अधिकार हो, किन्तु उस भूमि या इमारतीय सामान में किसी भी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार पर विपरीत प्रभाव न पड़ेगा, जो उसे उस व्यक्ति के विरूद्ध, जिसे उस भूमि या इमारती सामान पर इस प्रकार कब्जा दिया गया है, उचित कानूनी कार्यवाही के आधार पर प्राप्त हो सके।

(3) उस दशा में जबकि वह व्यक्ति, जिसे धारा 3 के अधीन अधिकृत की गयी भूमि या इमारती सामान का कब्जा दिया जाता हो, अप्राप्य हो या उसका शीघ्र पता न चल सकता हो, या उसका कोई ऐसा अभिकर्ता (एजेन्ट) या दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसे उसकी ओर कब्जा पाने का अधिकार हो, तो अधिकृत करने वाला अधिकारी———

(क) यदि जायदाद, जिसका कब्जा दिया जाना हो, भूमि है, तो शासकीय गजट में सूचना (Notice) प्रकाशित करायेगा, जिसमें यह घोषित किया जायेगा कि ऐसी भूमि अधिकृत किये जाने (रिक्वीजीशन) से मुक्त की गयी है और यह बात डुग्गी पिटवा कर उस स्थान में घोषित की जायगी, तथा

(ख) यदि वह इमारती सामान है, तो उसे उस ढंग से बेच देगा, जो निर्धारित किया जाये और जो रूपया मिलेगा, उसे खजाने में जमा कर देगा और यह धन तब उसके पाने के अधिकारी को दे दिया जायेगा।

(4) उस दशा में उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (क) उल्लिखित सूचना (Notice) शासकीय गजट में प्रकाशित कर दी जाये तो ऐसी सूचना (Notice) में उल्लिखित भूमि इस प्रकार प्रकाशन की तिथि से अधिकृत अवस्था से मुक्त हो जायेगी और उस भूमि के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गयी है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था।

(5) उपधारा (2) से (4) तक के अधीन कब्जा दिये जाने या बिक्री होने के उपरान्त प्रान्तीय शासन [राज्य सरकार][1] सिवाय उस दशा में, जैसा कि उपधारा (3) के वाक्यखण्ड (ख) में दिया गया है या जैसा कि धारा 6 के अधीन किसी दी हुई आज्ञा द्वारा आदेश दिया गया हो, ऐसी भूमि या इमारती सामान के सम्बन्ध में किसी भी क्षतिपूर्ति या अन्य दावों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

धारा 3 और धार 6 की उपधारा (2) के अधीन दी गयी आज्ञा पर कमिशनर द्वारा विचार

11–यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि सम्बन्धित व्यक्ति के साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है तो कमिश्नर अगर चाहे ऐसी आज्ञा पर फिर से विचार कर सकता है जो अधिकृत करने वाला अधिकारी धारा 3 के अधीन या प्रतिकर अधिकारी धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दे।

उस ऐक्ट के अधीन दी गयी आज्ञाओं के सम्बन्ध में न्यायालय कोई आपत्ति नहीं करेगा

12–(1) किसी ऐसी आज्ञा पर जो इस ऐक्ट द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये दी गई हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में कर दी गयी हो।

ऐक्ट नं0 1, 1872 ई.

(2) जहां किसी आज्ञा के सम्बन्ध में यह समझा जाये कि उसको किसी अधिकारी (अथारिटी) ने इस ऐक्ट के अधीन प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके दिया है तथा उस पर हस्ताक्षर किया है तो कोई न्यायालय इन्डियन एवीडेंस ऐक्ट, 1872 ई0 (Indian Evidance Act, 1872) के अर्थो में यह मान लेगा कि ऐसी आज्ञा उस अधिकारी ने इसी प्रकार की थी।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 द्वारा "प्रान्तीय शासन" के लिये प्रतिस्थापित।

इस ऐक्ट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा

13–(1) कोई वाद (नालिश), अभियोग (मुकद्दमा) या कोई दूसरी कानूनी कार्य किसी प्रतिकर अधिकारी या अधिकृत करने वाले अधिकारी या किसी व्यक्ति की विरूद्ध ऐसे कार्य के सम्बन्ध में न की जायेगी जो उसने इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये नियम या दी गयी किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किया हो या जिसके करने का विचार किया हो।

(2) कोई वाद (नालिश) या अन्य कानूनी कार्यवाही [राज्य सरकार][1] के विरूद्ध ऐसी क्षति के सम्बन्ध में न की जायगी जो किसी ऐसी बात के कारण हो जाय या जिसके होने की आशंका हो जो इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किया हो या करने का विचार किया हो।

संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस नं0 10 1948ई. ऐक्ट नं01, 1904

14–(1) इस धारा द्वारा यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्वीजिशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ) आर्डिनेंस, 1948 ई0 खंडित किया जाता है और यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 और 24 के आदेश इस प्रकार लागू होंगे मानो कि उक्त आर्डिनेंस ऐसा ऐक्ट था जो किसी [उत्तर प्रदेश][2] ऐक्ट द्वारा खंडित किया गया।

(2) कोई नियुक्ति या आज्ञा या आदेश जो उक्त आर्डिनेंस के अधीन की गई हो या दिया गया हो या जारी किया हो और जो इस ऐक्ट के आरम्भ के तुरन्त पूर्व लागू हो, लागू रहेंगे और उसके सम्बन्ध में, जैसी भी दशा हो, यह समझा जायगा कि वह नियुक्त, आज्ञा या आदेश ऐसा है, जो इस ऐक्ट के अधीन की गयी है, दिया गया है या जारी किया गया है।

नियम बनाने का अधिकार

15–(1) [राज्य सरकार][1] इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये नियम[3] बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकार की सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा सकती है–

(क) प्रतिकर अधिकारी तथा अधिकृत करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों तथा उनके अधिकार–सीमा के सम्बन्ध में,

(ख) प्रतिकर अधिकारी के पास निर्णय के लिये भेजे गये विषयों के संचालन तथा सुनवाई के लिए तथा ऐसे अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि के सम्बन्ध में,

(ग) सूचनाओं के रूप–पत्र (फार्म) तथा उनके तामील किये जाने के ढंग के संबंध में।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 "संयुक्त प्रान्तीय" के लिये प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा "प्रान्तीय शासन" के लिये प्रतिस्थापित।
3. नियमों के लिये अधि–सूचना संख्या 2244/1–5 दिनांक 18मई,1949 के गजट भाग 7–अ पृष्ठ 272 देखें।